



Case No. 93 /2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/DEV-5623/UP/91/2025-RU-IV

श्री संतोष कुमार शर्मा

जिला मजिस्ट्रेट

जिला- महाराजगंज

कलेक्ट्रेट,

महाराजगंज, उत्तर प्रदेश 273303

Email Id: dmmah@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **09/10/2025** को **16:10 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

- संदर्भ 1 (i) प्रार्थी की आराजी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के संबंध में – श्री गोपाल नारायण चौधरी, ग्राम - नौतनवा - विनायकपुर तहसील - साकिन हरदी डाली तप्पा मर्चवार परगना, जनपद उत्तर) महाराजगंज- का दिनांक (प्रदेश 30.07.2025 का पत्र / अभ्यावेदन।
- (ii) आयोग का नोटिस दिनांक 05.08.2025 (प्रतिलिपि संलग्न)

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **01/10/2025** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर

[Signature]

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Abhiyanta Bhawan, New Delhi-110003

CDPY to:- NIC for uploading.